

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 01, बुधवार, १९४७- जनवरी 21, 2026 Magha 01, Wednesday, Saka 1947- January 21, 2026		

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

विभाग का नाम: उपायुक्त लैंड (प्रथम), नगर निगम जयपुर।

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 28, 2024

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन नियम) 2010 एवं (संशोधित भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2021) के तहत

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या एफ13() उपा.आयो .प्रथम/ननिज/2024/ 935 :-मैसर्स नेशनल आईस फैक्ट्री जरिए अधिकृत पार्टनर पवन बागवानी भू.सं. 26, फतेह टीबा, इण्डस्ट्रीयल योजना, गोविन्द मार्ग, जयपुर द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन(संशोधित) नियम-2021 के अधीन औद्योगिक से व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निम्नानुसार आवेदन किया है:-

शहर का नाम	योजना का नाम	भूखण्ड	क्षेत्रफल
जयपुर शहर	फतेह टीबा, इण्डस्ट्रीयल योजना, गोविन्द मार्ग	भू.सं. 26, फतेह टीबा इण्डस्ट्रीयल योजना, गोविन्द मार्ग जयपुर	5185.35 व.ग.

इस भूखण्ड के भू-उपयोग परिवर्तन औद्योगिक से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के पेटे राशि 2,29,25,458/- रुपये (दो करोड उन्नतीस लाख पच्चीस हजार चार सौ अठावन रुपये) दिनांक 12.01.2024 को आर.टी.जी.एस. द्वारा व व्यवसायिक लीज 46,260/- रुपये (छियालीस हजार दो सौ साठ रुपये) दिनांक 12.01.2024 को को आर.टी.जी.एस. द्वारा निगम कोष में जमा करवा दिया गया है।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधित) नियम-2021 के अधीन आवेदित भूखण्ड का भू-उपयोग औद्योगिक से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम स्तर पर दिनांक 06.10.2023 को लिए गए निर्णय की पालना में स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन की जाती है।

1. यह केवल आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है। इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
2. उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् नियमानुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2025 रीजन में अंकित प्रावधानों व जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 (संशोधित सहित) प्रचलित भवन विनियम के मानदण्डों के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे तथा भूखण्ड में पार्किंग व वाटर हार्वेस्टिंग व अन्य आवश्यक मापदण्डों का प्रावधान करना होगा।
3. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में परिवर्तित रूपांतरण के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक होगा यदि उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो नगर निगम द्वारा भू-रूपांतरण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसूल की जावेगी एवं उक्त अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है तो भू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेगा तथा पुनः भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नवीन रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. बिन्दु सं. 02 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित भूमि पर स्थित निर्माण कार्य को अवैध माना जावेगा तथा नगर निगम उसे हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।
5. भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् प्रश्नगत भूखण्ड पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जो आस-पास के निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।
6. भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लीज नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानानुसार जमा करानी होगी। जो प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से पूर्व जमा करानी होगी। यदि एक मुश्त लीज जमा है तो देय नहीं है।
7. भूखण्ड पर औद्योगिक से व्यावसायिक उपयोग किये जाने के दौरान यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में वाहनो की पार्किंग भूखण्ड की कम्पाउण्डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किंग कम्पाउण्डवाल के अन्दर ही की जावे।

डॉ. गौरव सैनी,

आयुक्त,

नगर निगम जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।